## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 120/2025 निर्णय दिनांकः 23.12.2025
ऑनलाईन नम्बर 2025/243
गोमदाराम नायक पुत्र चोथूराम जाति नायक निवासी आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़।

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री प्रकाश राजपुरोहित अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की तरफ से प्रार्थना—पत्र निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ का स्थाई निवासी है। प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 893/91 तादादी 3.29 हैक्टेयर रोही आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का कब्जा काश्त व उपयोग—उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम गोमदाराम नायक पुत्र चोथूराम जाति नायक है व प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थी का यही नाम गोमदाराम पुत्र चोथूरान नायक अंकित है। राजस्व कर्मचारियों ने भूलवंश प्रार्थी के उक्त खेत खसरा नम्बर 893/ 91 तादादी 3.29 हैक्टेयर रोही आड़सर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम गोविन्दराम पुत्र चौथाराम नायक अंकित हो गया है। प्रार्थी को अपने उक्त खेत में विकास कार्य करवाने के लिये व के.सी.सी. के लिये ने दिनाक 25.06.2025 को उक्त खेत के राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 893/91 तादादी 3.29 हैक्टेयर रोही गुंसाईसर तहसील श्रीडूंगरगढ में अपना नाम गोमदाराम नायक पुत्र चोथूराम नायक के स्थान पर गोविन्दराम पुत्र चौथाराम नायक दर्ज होने की जानकारी हुई। तब प्रार्थी ने हल्का पटवारी से नाम सही करने का निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने प्रार्थी से कहा कि संक्षम न्यायालय से आदेश करवाओ तभी राजस्व रेकार्ड में संशोधन हो सकता है। उक्त खेत में प्रार्थी का गलत नाम दर्ज हो जाने से प्रार्थी अपने उक्त खेत के विकास कार्य नहीं करवा पा रहा है। जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उक्त खेत प्रार्थी की खातेदारी का होने से व उक्त खेत पर प्रार्थी का कब्जा—कास्त व उपयोग—उपभोग चले आने से प्रार्थी को उक्त खेतों के सम्बन्ध में वादाधिकार व हल्का पटवारी द्वारा खेत में वादी का नाम सही करवाने से इन्कार करने प्रार्थी को उक्त प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करने का वाद हेतु प्राप्त है । उक्त खेत रोही आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। इसलिये न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना—पत्र को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र जानकारी से अन्दर मियाद पर पेश है व पूर्ण न्यायशुल्क पर पेश हैं। अतः प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 893/91

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:36:46 IST
Reason: SelfAttested

तादादी 3.29 हैक्टेयर रोही आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम संशोधन किया जाकर गोविन्दराम पुत्र चौथाराम जाति नायक के स्थान पर गोमदाराम पुत्र चौथूराम जाति नायक अंकित कर उक्त खेत के राजस्व रेकार्ड में संशोधन किये जाने का आदेश प्रदान करे ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

**आंदेश**

खेत खसरा नम्बर 893/91 तादादी 3.29 हैक्टेयर रोही आडसर पुरोहितान में प्रार्थी का नाम गोविन्दराम पुत्र चौथाराम के स्थान पर गोमदाराम पुत्र चौथूराम संशोधन कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

**आदेश सरे इजलास सुनाया गया।**

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:36:46 IST
Reason: SelfAttested